उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-43/2015/953/62-2-2015-2/4(34)/2012
लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च,2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नियमित चयनोपरान्त उनके पत्र सं0-140(II)/4/पी/एस-12/2012-13, दिनांक 18-02-2015 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संगणक को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई (पे-बैण्ड-3, सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	संगणक का नाम	गृह जनपद	पदोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1-	श्री राम औतार वर्मा	हरदोई	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, कार्यालय, लखनऊ

ह0/
चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-43/2015/953(1)/62-2-2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0-140(II)/4/पी/एस-12/2012-13, दिनांक 18-02-2015 के संदर्भ में।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ।
7- संबंधित सहायक अभियंता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।